सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–10 वृहस्पतिवार, दिनांक–16 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:05 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम द्वारा तमिलनाडु की घटना से संबंधित मामला उठाया गया।

आसन द्वारा कहा गया कि इस विषय को शून्यकाल में उठायें। यह प्रश्नकाल है, अभी प्रश्नकाल चलने दें।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न संख्या–54 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानान्तरित।
(iii) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 186 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–54 के संबंध में आसन द्वारा कहा गया कि यह प्रश्न पेयजल तथा पैकेज्ड वाटर प्लान्ट के लाइसेंस से संबंधित है। पहले इसे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजा गया, जिसे उक्त विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानान्तरित किया गया। पुनः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसे स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरित किया गया, जो सही नहीं है। आसन द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रभारी मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर अगली तिथि में देने का निदेश दिया गया।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री प्रेम कुमार, श्री जनक सिंह, श्री सुनील मणि तिवारी एवं डॉ० निक्की हेम्ब्रम द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i)	श्री महबूब आलम	(ii)	श्री महा नंद सिंह
(iii)	श्रीमती मंजु अग्रवाल	(iv)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(v)	श्रीमती वीणा सिंह	(vi)	श्री इजहारूल हुसैन
(vii)	श्री राम सिंह	(viii)	श्री गोपाल रविदास

(ix)	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता	(x)	श्री प्रेम कुमार
(xi)	श्री भरत बिंद	(xii)	श्री सउद आलम
(xiii)	श्री प्रणव कुमार	(xiv)	श्री राम रतन सिंह
(xv)	श्री मुकेश कुमार यादव	(xvi)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xvii)	श्री मुरारी मोहन झा	(xviii)	श्री अजय कुमार
(xix)	श्री संदीप सौरभ	(xx)	श्री सुनील मणि तिवारी
(xxi)	श्रीमती गायत्री देवी	(xxii)	श्री रामबली सिंह यादव
(xxiii)	श्री अजीत कुमार सिंह	(xxiv)	श्री विद्या सागर केशरी
(xxv)	श्री रामवृक्ष सदा	(xxvi)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxvii)	श्री ललित नारायण मंडल	(xxviii)	श्री अचमित ऋषिदेव

माननीय सदस्य, श्री गोपाल रविदास एवं श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के शून्यकाल की सूचनाओं के संदर्भ में आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी माननीय सदस्य द्वारा आरोप लगाने तथा माफी मांगने के विषय की स्वीकृति शून्यकाल में देना उचित नहीं है, जिसके उपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि वह इसे अपने स्तर से दिखवा लेंगे।

आसन द्वारा शेष शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया गया।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 13.03.2023 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, डॉ० रामानुज प्रसाद एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित तथा दिनांक 15.03.2023 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा दिया गया।

(iii) माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री चन्द्र शेखर द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

परन्तु सदन की भावना तथा रिविजन पिटिशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे स्थगित किया गया। साथ ही माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग को अपने विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित सूचना पर निष्कर्ष निकालकर अगली तिथि में पूरी तैयारी से इसका उत्तर देने का निदेश दिया गया।

(iv) माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री ललित कुमार यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[6] वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड–06 ग्रामीण विकास विभाग; ग्रामीण कार्य विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ० रामप्रीत पासवान
2. श्री प्रेम शंकर प्रसाद
3. श्री रामविलास कामत
4. श्री राणा रणधीर
5. श्री संतोष कुमार मिश्र

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

6. श्री मुरारी मोहन झा
7. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
8. श्री रामबली सिंह यादव
9. श्रीमती ज्योति देवी
10. श्री देवेश कान्त सिंह
11. डॉ० सत्येन्द्र यादव
12. श्री सूर्यकान्त पासवान
13. श्री निरंजन कुमार मेहता
14. श्री मुकेश कुमार रौशन
15. श्री प्रहलाद यादव

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तदुपरान्त माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सरकार की ओर से वाद–विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया तथा पक्ष रखा गया।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 41 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–17 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–16.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।